

## कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

## **EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION**

( श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ) ( Ministry of Labour, Govt. of India ) क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई - I REGIONAL OFFICE, MUMBAI - I 341, भविष्य निधि भवन, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई - 400 051. 341, Bhavishya Nidhi Bhavan, Bandra (E), Mumbai - 400 051

4 7	सं. महा. / बांद्रा / No. MH / BAN / 12 8826   ZONE—IV   IC/ 10 दिनांक / Dated: 10   02   201
	स्रेंग में, TO, MINT STUNS AND PTSPLANS PIT. LTD.
V	8-A, VIMAL UDHYOU BHAVAN, 3RD FLOND
	8924 OPP STARCITY CINEMA, MATUNCHA
	MUMBAT 400016
10	विषय : कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 कोड संख्या का आवंटन Subject : Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952 allotment of code number.
	य / Sir,
1.	मेसर्स
	with all its branches and departments are brought within the purview of the employees' Provident Funds and Miscellanceous Provisions Act, 1952 and the Scheme framed thereunder with effect from 31 बंदित किया गया है । इस कार्यालय के साथ होने वाले भविष्य के सभी पत्राचार में यह संख्या उद्धृत की जाए ।  A code No. MH./ BAN/ has been alloted to it. This number may be quoted in all future correspondence with this office.
2.	इस कार्यालय को उपलब्ध सूचना अनुसार - As per information available with this office -
	अापका उद्योग में आंबध है जो अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित उद्योगों में भे एक है जिस पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 1 (3) लागू होती है ।  Your factory is engaged in which is one of the industies specified in Schedule I of the Act to which the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 is applicable under Section 1 (3)
	(B) आपकी स्थापना के रूप में वर्गीकृत है जिस पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 1 (3) (बी) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना लागू की गयी है । Yours is an establishment classified as to which the Employees Provident Funds and Miscellanceous Provisions Act, 1952 has been made applicable by the Government of India by a Notification issued under Section 1(3) (b) of the Act.
incident of the second	आपके आवेदन संख्या के संदर्भ में कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के विस्तार के लिए अधिनियम की धारा 1(4) के अंतर्गत स्वैच्छिक आधार पर यह कोड संख्या आबंटित की जाती है । यह कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 1 की उपधारा 4 के अन्तर्गत भारत सरकार की अधिसूचना का एक लिम्बत मामला है ।
	This code number is alloted with reference to your application No.

for extension of Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 under

section 1(4) the Act, on voluntary basis. This is pending issue of a notification by the Government of India under Sub-Section

(4) of section 1 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.

4.	यह कोड संख्या कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकी	र्ग उपबंध अधिनियम, 1952 तथा इसके अन्तर्गत निर्मित योजना के उपबन्धों के अनुपालन	
	को पूर्ण करने के उद्देश्य हेतु आबंटित की गयी	₹ I	
	The code number is alloted for the purpose of making compliance with the provisions of the Employees' Provident		
	Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the Schemes framed thereunder.		
4.	आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक	से कर्मचारी भविष्य निधि योजना के उपबंधों तथा दिनांक	
	से कर्मचारी पेंशन योजना तथा दिनांक	से कर्मचारी निक्षेप सहबध्द बीमा योजना के उपबंधो को कार्यान्वित करें	

यदि पहले कार्यान्वित नहीं किए है ।
You are required to Implement the provisions of the Employees' Provident Fund Scheme w.e.f. <u>010612013</u> pension Scheme w.e.f. <u>0110612013</u> and Deposit Linked Insuranc Scheme w.e.f. <u>0110612013</u> if no already done.

5. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 26 के अनुसार उद्योग / स्थापना में अथवा उससे संबंधित कार्य में कार्यरत कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य हेतु पात्र हैं । ठेकेदार के माध्यम से अथवा सीधे कार्यरत अस्थायी / स्थायी सभी कर्मचारीयों का नाम उनकी सेवा अविध का विचार किए बिना दर्ज किया जायेगा ।

As provided in para 26 of the Employees' Provident Fund Scheme 1952, an employee working in or in connection with the work of the factory / establishment shall be eligible for membership of the fund. All employees whether permanent or temperory employed directly or through a contractor are to be enrolled irrespective of their period of service.

- 6. (i) अधिनियम की धारा 6 के अनुसार यदि प्रत्येक माह प्रत्येक कर्मचारी के लिए कोई देय भत्ता है तो कर्मचारी एवं नियोक्ता को मूल वेतन, महंगाई भत्ता, भोजन छूट के नकद मूल्य सहित तथा प्रतिधारित भत्ते का 10% / 12% की दरसे अंशदान देय होगा । As per section 6 of the Act, 1952 the contributions payable by the employer and employees shall be at rate of 15% / 12% of basic wages, dearness allowance (including cash value of food concession) and retaining allowance, it any payable to each employee, every month.
  - (ii) अंशदान की गणना मूल वेतन, मंहगाई भत्ता इत्यादी के आधार पर की जाएगी जिसका कि वास्तव में पूरे माह के दौरान भुगतान किया जाता है अथवा देय है चाहे यह प्रतिदिन हो या साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक ।

    The contributions shall be calculated on the basic wages, dearness allowance etc. actually paid or payable during the whole month whether paid on daily, weekly, fortnightly or monthly basis.
  - (iii) अंशदान सम्पूर्ण रुपयों पर होगा । Contributions shall be rounded to full rupees.
  - (iv) नियोक्ता प्रथमतः स्वयं द्वारा देय अंशवान का हिस्सा तथा कर्मचारी के नाम का हिस्सा दोनों ही का भुगतान करेगा ।

    The employer shall in the first instance, pay both the share of contributions payable by himself and also on behalf of the employee's.
  - (v) ठेकेदार द्वारा लगाए गए कर्मचारी के संबंध में ऐसे कर्मचारी द्वारा देय अंशदान को ठेकेदार वसूल करेगा तथा प्रशासकीय प्रभार एवं अपने अंशदान को सदस्य के अंशदान की राशि सहित प्रमुख नियोक्ता को भुगतान करेगा ।

    In respect of employee employed by or through a conractor, the contractor shall recover the contribution payable by such employees and shall say to the principal employer the amount of member's contribution so deducted together with his contributions and administrative charges.
  - (vi) अपने द्वारा लगाए तथा ठेकेदार द्वारा लगाए कर्मचारी के संबंध में अपने द्वारा व्य अंशदान के हिस्से तथा प्रशासकीय प्रभार के साथ अंशदान के दोनों हिस्सों को भुगतान का उत्तरदायित्व प्रमुख नियोक्ता का होगा ।

    It shall be the responsibility of the principal employer to pay both the share or contirbutions payable by himself in respect of employees employed by him and also in respect of employees employed by or through a contractor and also Administrative charges.
- 7. कर्मचारी की मजदूरी के भुगतान से पहले उसका अंशदान उसकी मजदूरी से कार्टे जिसे नियोक्ता के अंशदान तथा प्रशासनिक प्रभार सहित प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिन के अन्दर निर्धारित चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक में निधि खाते में जमा करें।

  Before paying the member his wages, the employees' contributions should be deducted from his wages which together with employer's contribution and administrative charges shall, within 15 days of the close or every month, be paid in the Accounts of the Fund maintained by the State Bank of India through the prescribed challan.
  - भविष्य निधि अंशदान कर्मचारी का पूर्ण हिस्सा तथा नियोक्ता के हिस्से के 8.33%

PF contributions (full employees' share and percentage above 8.33% of employer's share)

कर्मचारी भविष्य निधि खाता सं. 1 में जमा होना है।

To be deposited in Employee's Provident Fund Account No. 1.

(ii) प्रशासनिक प्रभार न्यूनतम 5 रू. के अधीन Administrative charges @ (subject to a minimum of Rs. 5/-)

(iii) नियोक्ता के हिस्से के 8.33% की दर से पेंशन अंशदान Pension contributions @ 8.33% of employer's share कर्मचारी भविष्य निधि खाता सं. 2 में जमा होना है।

To be deposited in Employees Provident Fund Account No. 2.

कर्मचारी परिवार पेंशन निधि खाता सं. 10 में जमा होना है ।

To be deposited in Employees Pension Fund Account No. 10

नोट : प्रशासनिक प्रभार की दर वेतन का 1.10 % है जैसे, मूल मजदूरी, महंगाई भत्ता-भोजन छूट के नकद मूल्य सहित प्रतिधारित भत्ता यदि कोई हो । Note: The rate of administrative charges is 1.10% of pay reckoned for PF contribution.

- 8. उपरोक्त के अतिरिक्त कर्मचारी निक्षेप सहबध्द बीमा योजना 1976 के अंतर्गत खाता सं. 21 एवं 22 में भी निम्नानुसार राशि जमा करनी है।
  In addition to the above deposits, amounts in Account Nos. 21 & 22 under the Employees' Deposit linked Insurance Scheme, 1976 are also to be made in the manner indicated below.
  - (i) निक्षेप सहबध्द बीमा निधि खाता सं. 21

    Deposit Linked Insurance Fund
    Account No. 21
  - (ii) बीमा निधि प्रशासन खाता सं. 22

Insurance fund Administration Account No. 22 इस खाते में अंशदान नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रत्येक माह दी जाने वाली कुल मूल मजदूरी, महंगाई भत्ता यदि कोई हो, का 0.5% की दर से जमा करनी है। Payable by employer every month @ 0.5% of wages reckoned for P. F. contribution of all subscribers.

इस खाते के लिए नियोक्ता द्वारा प्रत्येक माह दिया जाने वाला प्रतिधारित भत्ता यदि कोई हो, मंहगाई भत्ता, भोजन छूट के नकद मूल्य सहित तथा कुल मूल मजदूरी का 0.01% की दर से प्रशासनिक प्रभार जमा करें जो प्रत्येक माह न्यूनतम 2/- रु. के अधीन है । Payable by Employer @0.01% of wages reckoned for P. F. contribution of all subscribers.

- 9. निम्नलिखित रिटर्न / प्रपत्र इत्यादि भविष्य निधि कार्यालय को निम्नवत प्रस्तुत किए जाने है :The following returns / form etc. are to be forwarded to PF office as explained -
  - (i) कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के अन्तर्गत सं. 9 तथा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के प्रपत्र सं. 3 (क. पे. यो. ) Form No. 9 under the EPF scheme 1952 and 3 (EPS) under the EPS 95

(ii) क. भ. नि. योजना 1952 क. पें. योजना 1995 के अन्तर्गत प्रपत्र सं. 2 (संशोधित) Form No. 2 (revised) under the EPF Scheme, 1952 and also under EPS 95

(iii) ਸ਼ਧਕ सं. 5 - ਦ From No. 5A ship

(iv) प्रपत्र सं. 3 - ए

From No. 3A

(v) प्रपत्र सं. 6 - ए

From No. 6A

अधिनियम / योजना के अन्तर्गत आच्छादित स्थापना/उद्योग की तिथि से बननेवाले प्रपत्र इसके सदस्यों के संबंध में उन पात्र कर्मचारियों के लिए ये प्रपत्र एक बार ही प्रस्तुत अन्तर्गत करें ।

These are to be forwarded once in respect of those employees who are required or entitled to become members on the date of the factory / establishment is covered under the Act / Scheme.

प्रत्येक सदस्य द्वारा निधि की सदस्यता ग्रहण करने के बाद इनसे दो प्रतियों में तथा लेकर तुरंत प्रस्तुत करें ।

These are to be obtained in duplicate from every members and forwarded imediately after joining the fund.

इसे तुरंत तथा जब कभी स्वमित्व का बदलाव हो प्रस्तुत करें । This is to be forwarded immediately and also whenever change in owner-

occurs.

इसे उस प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में प्रत्येक माह तैयार करना है जो भविष्य कार्यालय को प्रस्तुत करें। निधि का सदस्य है तथा प्रपत्र सं. 6 ए के साथ वर्ष की समाप्ति पर भविष्य निधि This is to be maintained every month in respect of every employee who is a member of PF and forwarded to PF office at the close of the financial year along with the form 6A below.

यह अंशदान का वार्षिक रिटर्न है तथा इसे वैयक्तिक प्रपत्र सं.3-ए के साथ प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिन के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करें ।

This is the annual return of contributions and is to be forwarded to office within 30 days of the close of the every financial year alongwith individual form 3A.

यह अंशदान का मासिक रिटर्न है तथा इस प्रत्येक माह का 25 तारीख तक प्रस्तुत करे। (vi) प्रपत्र सं. 12 - ए इस प्रपत्र के साथ उपरोक्त पैरा 7 एवं 8 के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक में जमा किए चालान की प्रतियां भी संलग्न करें। This is the monthly return of contributions and is to be forwarded by 25th From No. 12A every month. Copies of the challan, In support of the deposits made in State Bank of India as per para 7 & 8 above are to be attached with this the forms. ये उन कर्मचारियों का रिटर्न है जो नए सदस्य बने हैं अथवा जिन्होंने माह में (vii) प्रपत्र सं. 5 & 10 नौकरी छोड दी है । इसे प्रत्येक माह की 25 तारीख तक कार्यालय में प्रस्तुत करें । These are the returns of employees who have become new members or From Nos. 5 & 10 have left the service in the month. This is to be forwarded to office by 25th of every month. 10. जैसा कि ऊपर है, आपकी स्थापना / उद्योग आबंटित कोड संख्या महा / ..... के अनुसार क्रमबद्द रूप में आप सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से अलग से खाता सं. आबंटित कर सकते है । वैयक्तिगत खाता संख्या या इसी प्रकार आगे भी होगी । एक बार सदस्य को आबंटित की गयी संख्या किसी भी तरह दूसरे सदस्य को आबंटित नहीं की जाएगी चाहे उसका खाता बन्द हो गया । इस प्रकार आबंटित की गयी खाता संख्या प्रत्येक सदस्य को सूचित करें तथा वे इस संख्या को सभी पत्राचार में कार्यालय उहद करने के लिए कह सकते है । As stated above, the code number alloted to your factory / establishment is MH / BAN \_ account number for individual members may be alloted serially as it appear in form No. 9 The individual member should be prefixed by the code number alloted to the establishment. Thus the Account number of individual members will be \_/2, MH/BAN / \_ 128826 / 1, MH/BAN / on. Account number once alloted to a member should in no case be alloted to another member even after the closing of his account. The account number alloted may be intirmated to each member and to the quoted is all correspondence with this office.

11. यह सुनिधित करना महत्वपूर्ण है कि निधि के रूप में देय राशि का भुगतान निर्धारित समय से किया गया है। भुगतान में कि गयी किसी भी देरी के लिए धारा 7-क्यु के अन्तर्गत ब्याज तथा पैरा 14-बी के अन्तर्गत नुकसान का उद्ग्रहण किया जाता है। अधिनियम अथवा योजना के उपबंधों के किसी भी उल्लंघन के लिए विभिन्न दण्ड विधानों को लागू किया जा सकता है।

It is important to ensure that the amount due to the fund is paid within the prescribed time limit. Damages under para 14B and Interest under Section 7Q are levied for any delays in making payments. Various penal provisions could also be revoked for any violation of the provisions of the Act or the Schemes.

- 12. क. भ. नि. सं. के अधिकारियों के दल द्वारा प्रस्तुत विभिन्न अन्य रिकॉड्स के सत्यापन की शर्त के अधीन कोड सं. जारी किया जाता है। व्याप्ति हेतु प्रस्तुत तथ्यों के गलत पाए जाने पर, व्याप्ति को स्थिगत करते हुए, जैसी स्थिति हो, उचित कार्रवाई की जाएगी।
  - "Code number is issued subject to the verification of various other records submitted by the team of officers of EPFO. If the submission for the coverage made by you is wrong action as deemed it will be initiated apart from preparing the coverage as the case may be "
- 13. व्याप्ति के उपरांत आपकी कंपनी / स्थापना को अनिवार्य रूप से क्षे. भ. नि. आ. के पास अनुपालन करनी है । यदि आपकी स्थापना किसी भी सांविधिक योजनाओं से अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों के तहत छूट पाना चाहती है तो ऐसी छूट केवल भावी तिथि से ही उपलब्ध होगी । ऐसी छूट की अधिसूचना जारी होने के पहले अनुपालन बंद कर देने वाली स्थापनाओं के विरुद्ध क्षे. भ. नि. आ. को चूक के लिए योजनाओं के संगत प्रावधानों के साथ पठित अधिनियम की धारा 7ए, 8, 14 तथा 14 बी के तहत सभी दंडनीय कार्रवाई करने का प्रावधान है ।
  - "On coverage, it is mandatory on the part of your company / establishment to render compliance with the RPFC. In case your establishment desires to avail provisions of section 17 of the Act to obtain exemption from any of the statutory Schemes, such exemption will be available only from prospective date and failure by the establishment to render compliance with the RPFC until the date of notification of such exemption will entail the establishment liable from all penal consequences as provided for under section 7A, 8.14 and 14B of the Act read with related provisions or the Schemes for default."

14. इस कार्यालय के प्रवर्तन अधिकारी आपकी स्थापना का दौरा करेंगे । आपसे अनुरोध है कि आवश्यक सहयोग करें । अगर आपको कोई कठिनाई हो अथवा दिशा-निर्देश चाहते है तो कृपया निसंकोच इस कार्यालय से संपर्क करें ।

An Enforcement Officer of this office will be visiting your establishment. You are requested to afford him necessary co-operation. If you experience any difficulty or need any guidance, please feel free to contact this office.

सभी प्रकार के सहयोग का आश्वासन । Assuring you all co-operation,

Encl.: (1) Form No. 5A

(2) Form for allotment of Business Code No.

भवदीय, Yours faithfully,

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

ि Regional Provident Fund Commissioner बांद्रा, मुम्बई - I / Bandra, Mumbai - I

प्रति : 1) लेखा अनुभाग

2) प्रवर्तन अधिकारी

C.C.: 1) Cordination - II

2) Enforcement Officer

रविन्द्र शिंदे सहाय्यक भ. नि. आयुक्त बान्द्रा - मुंबई. वाओं तर्गत

eous

गविष्य

uture

ोगों मे

usties s Act,

धि एवं तो है । oyees ent of

प्रकीर्ण टेत की रार की

under